कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(पर्यटन शाखा)

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति

पर्यटन, कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य (पर्यटन विभाग), झारखण्ड, राँची के पत्र सं०–28/राँची, दिनांक 01.12.2016 द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन स्थलों का विकसित करने हेतु पश्चिमी सिंहभूम–चाईबासा जिला को 1,00,00,000.00 (एक करोड) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के कंडिका 4 में निदेशित है कि संबंधित उपायुक्त को जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक कर समिति की स्वीकृति प्राप्ति उक्त कर्णाकिंत राशि से संबंधित जिले के पर्यटन स्थल/स्थलों का विकास करायेगें। इसी पत्र की कंडिका 5 में निदेशित है कि विकास कार्य हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1499/दिनांक 26.08.2015 द्वारा श्रेणीकृत राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणी B) राज्यकीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणीC) तथा स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल (श्रेणीD) यथा संभव उन पर्यटन स्थलों का चयन किया जाय जहां अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ हो। स्थलों का चयन करते समय स्थल पर्यटन संभावना को विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। यथा – केवल उन्हीं स्थलों का चयन विकास कार्य के लिए हो जहां पर्यटकों का नियमित आगमन होता हो, ताकि निर्मित होने वाली संरचनाओं की वास्तविक उपयोगिता सिद्ध हो। उक्त के आलोक में, दिनांक .28.01.2017 को आयोजित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत प्रखण्ड– चक्रधरपुर के केरा मन्दिर, जगन्नाथपुर के रामतीर्थ मन्दिर ,सदर चाईबासा के लुपुंगुटू के झरना एवं मन्दिर परिसर का सौन्दर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त नीति के आलोक में पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड में केरा मन्दिर और जगन्नाथुपर में रामतीर्थ मन्दिर तथा सदर चाईबासा में लुपुंगुटू झरना स्थित है। उपरोक्त तीनों पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्रमशः 50,00,000.00 (पचास लाख) रुपये, 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रुपये एवं 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रुपये की राशि जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में कर्णाकिंत की गई है। उक्त तीनों स्थलों का **D.P.R.** तैयार करने हेतु विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। उक्त चयनित तीनो पर्यटन स्थलो के पर्यटकीय विकास कार्य में पर्यटक शेड, फुड–कियोस्क, बेंच, पर्यटक सुविधा केन्द्र (शौचालय एवं पेयजल सुविधा), सोलर लाईट इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान आवश्यक है। सभी प्रतिष्ठित निजी संस्थान जो इस कार्य में विशिष्टता रखते हो वह दिनांक 10.02.2017 के अपराह्न 3.00 बजे तक सचिव **D.T.P.C.** सह प्रभारी जिला पर्यटन पदाधिकारी–सह–निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के कार्यालय में अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)** निविदा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। 3.00 बजे के उपरांत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। इच्छा के अभिव्यक्ति में उन्हीं प्रतिष्ठानों के इच्छा की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जायगी जो उपरोक्त तीनों स्थल या तीनों में से किसी एक स्थल के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव उपस्थापित करेगें। इस निविदा के नियम और शर्तो की जानकारी www.chaibasa.nic.in एवं अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि के दौरान दिनांक 09.02.2017 तक प्राप्त की जा सकती है।

सदस्य सचिव,
जिला पर्यटन सवर्धन समिति–सह–
प्रभारी, जिला पयर्टन पदाधिकारी–सह–
निदेशक डी०आर०डी०ए०,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Terms and Condition:-

1. Mere submission of the EOI will not confer to the applicant any right for receiving or carrying out the prescribed job.
2. The procurement committee headed by DC ,W.Singhbhum ,Chaibasa,Jharkhand shall process the EOI proposals pursuant to the instant EOI notice and take the final decision in this regard.This committee reserves the right to accept /reject one or all EOI proposals or to stop the process of approval at any stage,as its sole discretion without assigning any reason and shall bear no liability whosover consequent upon such a decision.
3. Applicant must ensure that they fulfill all the eligibility criteria .If on verification at any later stage it is found that they do not fulfill any/all of the eligibility conditions Prescribed or they have provided any false/misleading information at any stage thir contract / selection will be cancelled/ rejected and the procurement committee reserves the right ro take any action as deemed fit in such case (s)
4. The applicants are advised to read the **EOI** document carefully before submission of the **EOI**. They are advised to make their own ground assessment and fill the application with utmost care and caution since no request for any modification(s) therein shall be entertained after submission of the application under any circumstances.
5. Applications received after last date & time and/ or received through fax/e-mail, etc would be summarily rejected without any notice to the applicant and no representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances.
6. No correspondence from any applicant for not being shortlisted/ considered for selection etc. would be entertained at any stage under any circumstances. Canvassing in any form will summarily disqualify the applicant.
7. On the day of opening of the technical bids, to be notified by the Committee, the team leader shall be required to make a power point presentation before the committee with emphasis upon the technical aspects of preparation of schemes Financial bids of only successful applicants shall be opened by the Committee (to be called stage-II evaluation). A different date may be decided for stage-II evaluation i.e. opening of the financial bids.

   Based on the technical ability of afflicants after due verification of supporting documents the financial bids of only successful applicants shall to opened by the committee . A different date may be decided for opening of the financial bids.
8. After final selection of the agency, for preparation of D.P.R. as defined in the instant EOI the consulting firm/ institute/consortium shall have to sign an Agreement with District Tourism Officer Cum-Director D.R.D.A, West Singhbhum,Chaibasa.
9. After execution of the Agreement, the agency shall be required to deposit a Performance Guarantee in the form of Bank Guarantee or NSC/KVP/FD in a nationalized Bank, to the tune of ten percent of the total anount quoted by them and as finalized by the Procurement Competent.
10. The Payment shall be made only after the technical & Admistrative approval by the Competent authority.

Secretary DTPC-cum-District Tourism Officer-Cum-Director DRDA
W.Singhbhum, Chaibasa